न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 16/568

1. चन्द्रकला पत्नी प्रहलाद जी उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम गुणदी हाल मुकाम पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. हरिओम आयु 18 वर्ष
3. विष्णु आयु 13 वर्ष पिसरान प्रहालद निवासवीगण गूणदी हाल निवास पीपल्दा नाबालिगांन जरिये वली माता चन्द्रकला पत्नी प्रहलाद निवासीगण गूणदी तहसील पीपल्दा हाल मुकाम पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 75 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम गूणदी तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. रामगोपाल दत्तक पुत्र शंकर लाल उम्र 45 वर्ष जाति मीणा निवासी गूणदी तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. सुरेश पुत्र हीरा लाल उम्र 35 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम गूणदी तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 27.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम गूणदी कुल 08 किता की 10.44 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण कम 1 से 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 व 3 की पुश्तैनी आराजी है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर एवं रकबा इस प्रकार से हैं आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 4.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 117/978 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 125

रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 127 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.03 हैक्टर कुल 08 किता की 8.91 हैक्टर आराजी जिसके रिकॉर्ड की यथास्थिति उक्त पंजीयनों के पुर्वानुसार बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से पर काश्त करने दे तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी को सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था के यहॉ रहन दर्ज नहीं करावें उक्त कार्य अप्रार्थीगण स्वयं नहीं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में जगन्नाथ जी के खाते में दर्ज थी जो जगन्नाथ जी को भी विरासत में प्राप्त हुई थी । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि हीरालाल पुत्र जगन्नाथ जी के खाते दर्ज हुई । इस प्रकार उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि थी तथा उसकी पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी परन्तु उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर बिना किसी आधार के उक्त भूमि पैतृक होना नहीं मानकर त्रुटि की है । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि हीरालाल, रामगोपाल, प्रहलाद व सुरेश संभाग के खातेदार कानूनी रूप से बने एवं प्रहलाद जी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उनके 1/4 हिस्से की भूमि के कानूनन खातेदार बने । रेस्पोडेन्ट कम 2 शंकर लाल जी के गोद चले गये उसके पश्चात् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य फेमिली सेटलमेंट हुआ । उक्त इकरारनामा दिनांक 09.07.2003 को निष्पादित कर सभी पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का लाभ लेते हुए करीब 20 बीघा भूमि विक्रय कर दी तथा अपीलान्ट के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि को भी बेचान करने की धमकी दे रहे हैं । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आश्वश्यक है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रकरण प्रथमदृष्टया उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और एक रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा भी होती है । रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का

ई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा होना बताया है और रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है ।

9. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा होने का कथन किया है, हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है । यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित होता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित होती है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा